भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यकारिणी विभाग का प्रधान है, परन्तु शासन की वास्तविक सत्ता उसके हाथों में नहीं है। वह मन्त्रि-परिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कार्यकारिणी विभाग का संगठन अध्यक्षात्मक (Presidential) और संसदात्मक (Parliamentary) दो प्रकार का होता है। अध्यक्षात्मक पद्धति में शासन का वास्तविक संचालन राष्ट्रपति करता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया गया है। इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संसद पद्धति है जहाँ मन्त्रि-परिषद शासन का सब कार्य चलाती है और राजा की स्थिति नाममात्र के अध्यक्ष की होती है। भारत के संविधान में ब्रिटेन की संसद प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यद्यपि यहाँ पर कोई वंशानुगत शासक नहीं है और राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाती है, परन्तु भारत का राष्ट्रपति कार्यकारिणी का असली संचालक नहीं है। वह देश की राजकीय एकता का प्रतीक है परन्तु वास्तविक शासनाधिकार उसके हाथों में नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान (Head of the State) है जिसके नाम से भारत संघ के समस्त कार्य चलते हैं परन्तु शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रि-परिषद् के हाथ में रहती है।

भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये गये हैं जो कि संसदीय पद्धति वाले देशों के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में वह अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है जिनकी महत्ता उतनी ही होगी जितनी संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की। संकट उत्पन्न होने पर वह संकटकाल की घोषणा करके शासन की समस्त सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। इन अधिकारों के कारण भारत के राष्ट्रपति के हाथ में बहुत अधिक शक्ति आ गई है, परन्तु साधारणतया वह अपने इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रि-परिषद् के परामर्श के अनुसार ही करेगा। स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति तथा अधिकार संसद प्रणाली के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं। परन्तु भारत में जिस प्रकार की परम्पराओं का निर्माण हो रहा है। उससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन सम्राट के समान वैधानिक प्रधान होगा। इस सम्बन्ध में 'डॉ॰ अम्बेडकर' ने संविधान सभा में कहा था कि "भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है न कि कार्यपालिका का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं।"

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का पद

संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ उसी में निहित होंगी। [illegible] प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार करेगा, [illegible] परामर्श देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद होगी। यदि संविधान में यह व्यवस्था न [illegible] एक तानाशाह बन सकता था और प्रजातन्त्रात्मक शासन की सारी योजनायें [illegible] अतः संविधान ने राष्ट्रपति की शक्तियों के विस्तार तथा उनकी सीमाओं की [illegible] करके उसे एक संवैधानिक प्रधान बना दिया है। इसलिये यह कहा जा सकता है, "भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रभावशाली प्रधान न होकर भारत की एकता का प्रतीक है।"

राष्ट्रपति की योग्यतायें

अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
4. कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुये है परन्तु संघ के उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मन्त्रि पद [illegible] इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार हो सकते हैं।

राष्ट्रपति पद की शर्तें

अनुच्छेद 59 में यह उपबन्धित है कि—

(1) राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन और न राज्य के विधान [illegible]

[illegible] समझा जायेगा कि जिस तारीख से उसने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया [illegible] उसने सदन की सदस्यता छोड़ दी है।

(2) राष्ट्रपति बिना किराया दिये हुए, अपने पदीय निवास स्थान के प्रयोग का अधिकारी [illegible] उपलब्धियाँ (Emoluments), भत्तों (Allowances) तथा विशेष अधिकारों का [illegible] संसद समय-समय पर कानून द्वारा निश्चित करेगी तथा इसे निश्चय करने [illegible] को 10,000 रुपये प्रति मास के हिसाब से वेतन दिया जायेगा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

[illegible] 54 के अधीन राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया [illegible] निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा

(2) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

[illegible] के निर्वाचन की पद्धति

[illegible] महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ पद होने के कारण उसका निर्वाचन [illegible] प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिये था परन्तु भारतीय संविधान में ऐसा नहीं [illegible] जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष [illegible] उसमें और मन्त्रि-परिषद् में गतिरोध उत्पन्न हो जाता क्योंकि दोनों [illegible] अवसर मिलता है कि हम जनता द्वारा निर्वाचित हैं। अतः अप्रत्यक्ष रीति [illegible] राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अधिक उचित है।

[illegible] मण्डल का स्वरूप

[illegible] के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल के सदस्य किस प्रकार वोट दें और [illegible] वोट माने जायें, इस सम्बन्ध में एक विशेष व्यवस्था को अपनाया गया [illegible] जटिल और कठिन है। साधारण जनता व्यवस्था को सरलता से नहीं समझ [illegible] व्यवस्था इस प्रकार है–

(1) [illegible] संसद और राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों को कुल मिलाकर जितने [illegible] अधिकार हो, उनकी संख्या एक बराबर होनी चाहिए। परन्तु राज्य की विधान [illegible] सदस्यों से अधिक होती है अतः निर्वाचक [illegible]

(2)

जिसके अनुसार राज्य की विधान सभाओं और संघ के सदस्यों के मतों को इस प्रकार से निश्चित किया गया है कि दोनों प्रकार के मतों का सर्वयोग समान रहे। उदाहरण के लिए, निर्वाचन मण्डल में राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या 975 है और संसद के सदस्यों की संख्या 325 है इस स्थिति में यदि दोनों के सदस्यों के मतों के समान रखना है तो विधान सभाओं के 975 सदस्यों को पाँच-पाँच मत देने का और संसद के सदस्यों को पन्द्रह-पन्द्रह मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस तरह दोनों प्रकार के सदस्यों की कुल संख्या 4875 हो जायेगी। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये निर्वाचन मण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में [illegible] व्यवस्था अपनाई गई है।

(2) भारतीय संघ के अधीन न तो विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और न उनकी विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या एक समान है। राज्यों की जनसंख्या और सदस्य संख्या का अनुपात भी एक समान नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों को एक समान महत्व प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से निम्न व्यवस्था अपनायी गयी है–

प्रत्येक सदस्य के प्राप्त मतों की संख्या =

$$\frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1,000$$

उदाहरण (1) यदि किसी राज्य की जनसंख्या 25,00,000 है और उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या 250 है तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य द्वारा दिये जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार होगी–

25,00,000 को 250 से भाग दिया $\frac{(25,00,000)}{250}$ = 10,000 मत

अब इस भागफल को 1,000 से भाग दिया = $\frac{(10,000)}{1,000}$ = 10 मत

अतएव उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को 10 मत देने का अधिकार होगा।

उदाहरण (2)– यदि समस्त राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को कुल 75,000 मत देने का अधिकार हो तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 750 हो तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य द्वारा दिये जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार होगी।

कुल विधान सभा के सदस्यों के मतों को संसद की सदस्य संख्या से भाग दिया

$\frac{(75,000)}{[illegible]}$ = 100 मत

(3)

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System)—राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये भारत में एक विशेष पद्धति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अनुसरण किया गया है। यह प्रणाली तभी प्रयोग में आ सकती है जबकि एक व्यक्ति का चुनाव करना हो और उस पद के लिए दो से अधिक उम्मीदवार हों। मान लीजिये इस पद के लिये चार उम्मीदवार हैं और मतों की कुल संख्या 10,000 है तो इस प्रणाली के अनुसार वह व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जिसे मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाये। यह कोटा इस प्रकार निकाला जायगा।

$$\text{निर्वाचन अंक} = \frac{\text{मतों की संख्या}}{\text{स्थान}+1} + 1 = \frac{10,000}{1+1} + 1 = 5,001$$

अतः वही व्यक्ति निर्वाचित होगा जिसे 5,001 मत प्राप्त हो जायेंगे। मतदाताओं को यह अवसर दिया जायेगा कि वे समस्त उम्मीदवारों के बारे में अपनी पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी पसन्द को व्यक्त करें। मान लीजिए, चारों उम्मीदवारों को क्रमशः 2200, 3000, 2700, 2100 मत प्राप्त हुए हैं। अब यह देखा जायेगा कि प्रथम पसन्द के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पक्ष में मत देने वालों ने अपनी दूसरी पसन्द किसे दी है। देखने पर पता लगा कि मतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द व्यक्ति ख के पक्ष में दी है, दूसरी पसन्द के इन मतों के जुड़ जाने पर व्यक्ति ख को 3000+2100=5100 मत प्राप्त हो गये इस स्थिति में ख को ही निर्वाचित मान लिया जायेगा। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद उत्पन्न हो जाये तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित अन्य बातें 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952' के अनुसार निश्चित की गई हैं।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव कानून में संशोधन

26 अगस्त सन् 1972 को विधि मंत्री श्री एच॰ आर॰ गोखले ने लोकसभा में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव कानून में संशोधन का विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्याशी होने की शर्तों को पहले से कठोर बनाना था। इस विधेयक में कहा गया था कि दोनों पदों के प्रत्येक उम्मीदवार को ढाई हजार रुपया जमानत दाखिल करनी होगी जो जीत के लिये आवश्यक मतों के छठे भाग से कम मिलने पर जब्त कर ली जायेगी। इस विधेयक के उद्देश्य सम्बन्धी बयान में कहा गया था कि संशोधन का लक्ष्य यह है कि राष्ट्र के इन उच्चतम पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले ऐसे लोगों को रोका जा सके जो केवल नाम के चुनाव लड़ते हैं और जिन्हें चुनाव जीतने की आशा भी नहीं होती।

यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया, जिसने उसमें कुछ संशोधन [illegible] 23 [illegible] 1974 को लोकसभा ने इस विधेयक [illegible] प्रवर समिति द्वारा प्रतिपादित उस विधेयक में यह प्रावधान [illegible] उम्मीदवार के समर्थन के लिये निर्वाचकों में से 10 प्रस्तावक [illegible] आवश्यक है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार [illegible] तथा 5 अनुमोदक होने आवश्यक कर दिए गए हैं।'

45वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव [illegible] विवाद पर विचार करने का अधिकार फिर से सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया।

पुनर्निर्वाचन (Re-election)

अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के पद पर [illegible] धारण कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [illegible] पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ

अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख निम्न रूप में शपथ ग्रहण करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा—

"मैं ...अमुक... ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य-पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा [illegible]"

राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यदि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो पाया हो [illegible] तक अपने पद पर रह सकेगा जब तक कि नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाये। [illegible] राष्ट्रपति चाहे तो वह 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। [illegible] त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर के साथ उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करना चाहिए।

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया

संसद को अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) [illegible] राष्ट्रपति पद से हटा दे। अनुच्छेद 61 के [illegible]

... सिद्ध कर दिया जाता है तो संसद महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही पद से हटा सकती है। महाभियोग द्वारा हटाये जाने की प्रक्रिया इस प्रकार है–

(1) संसद के किसी भी सदन के कम से कम चौथाई सदस्य प्रस्ताव की लिखित सूचना देने के 14 दिन पश्चात् राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव करें।

(2) उस सदन के कम से कम दो तिहाई सदस्य उक्त प्रस्ताव का समर्थन करें।

(3) जब संसद के किसी सदन द्वारा दोषारोपण का यह प्रस्ताव पारित किया जा चुके तो दूसरा सदन इसका अनुसंधान करेगा। राष्ट्रपति को इस अनुसंधान में उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।

(4) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप दोषारोपण सिद्ध हो जाता है और प्रस्ताव उस सदन के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होकर स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हटा दिया जायेगा।

पदावधि के मध्य में रिक्तता

(Vacancy during term of office)

अनुच्छेद 62 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा महाभियोग के प्रस्ताव की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाय, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अन्दर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये। नये चुने हुये राष्ट्रपति की पदावधि भी 5 वर्ष होगी। जब तक नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाये तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य करेगा। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति दोनों ही अपने कार्य कर सकने की स्थिति में न हों, तो संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उनके कार्य के सम्पादन के लिये उचित व्यवस्था करे। संसद ने अब यह अधिनियम पास कर दिया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कार्य करने की स्थिति में न हों तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा।

राष्ट्रपति की विमुक्तियाँ

(Immunities)

राष्ट्रपति के पद की मान-मर्यादा को स्थापित करने की दृष्टि से उसे कुछ विमुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अपने कार्यकाल में अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो ... न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब ... दीवानी या फौजदारी ...

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का पद अत्यन्त प्रतिष्ठित एवं सम्मानित है। उसे वे सब अधिकार प्राप्त हैं जो कि संविधान के क्रियाशील होने से पूर्व गवर्नर जनरल को प्राप्त थे। इन सब अधिकारों का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कर सकता है। उसके अधिकारों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, (2) व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, (3) न्याय सम्बन्धी अधिकार, (4) वित्त सम्बन्धी अधिकार, (5) संकटकालीन अधिकार, (6) विशेष अधिकार।

(1) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार (Executive Powers)–भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है। कार्यपालिका शक्ति में बहुत सी बातें सम्मिलित हैं, जो निम्नलिखित हैं–

(i) शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से–अनुच्छेद 77 के खण्ड (1) के अनुसार यह व्यवस्था की गयी है कि भारत सरकार के समस्त कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जायेंगे और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जायेंगे।

(ii) शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम का निर्माण–अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसार शासन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये राष्ट्रपति नियमों का निर्माण करेगा तथा मन्त्रियों को कार्य भी वितरित करेगा।

(iii) भारत संघ के मन्त्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्तियाँ–संघ के महत्वपूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमन्त्री के परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। भारत के एटार्नी जनरल, कन्ट्रोलर व ऑडीटर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि महत्वपूर्ण राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह विदेशों में राजदूतों की भी नियुक्ति करता है।

(iv) संघ सेना का सुप्रीम कमांडर–राष्ट्रपति भारत की जल, थल और वायु सेनाओं का भी प्रधान है। उसी के द्वारा सेना के सब उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। युद्ध और संधि का अधिकार भी उसी के हाथों में है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है। ... अन्य देशों के साथ संधियों की घोषणा भी की जाती है। परन्तु वह संसद ... नहीं कर सकता।

(5)

(vi) राज्य की सरकार को आदेश—राष्ट्रपति [illegible] की सरकारों को कानूनों के उचित रूप से पालन करने के आदेश दे सकता है। वह राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के विषयों को सुरक्षित रखने के लिए आदेश दे सकता है।

(vii) मन्त्रियों को शपथ दिलवाना—मंत्रियों को अपना पद-भार सम्भालने से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है।

(viii) मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रधानमन्त्री से शासन की गृह तथा वैदेशिक नीति से अवगत होता रहे। वह प्रधानमन्त्री को विशेष रूप से यह आदेश दे सकता है कि किसी एक मन्त्री के निर्णय को मन्त्री-परिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

(2) व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार (Legislative Powers)—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय व्यवस्थापन विभाग का आवश्यक अंग है। यद्यपि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ के व्यवस्थापक विभाग का निर्माण राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। दोनों सदनों का संगठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 'प्रो० ए० बी० लाल' के शब्दों में, "लिखित संविधान तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी भी देश में राज्याध्यक्ष को इतनी अधिक विधायिनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।" इस क्षेत्र में उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

(i) बिल सम्बन्धी अधिकार—संसद द्वारा स्वीकृत कोई भी कानून अथवा बिल उस समय तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति न दे दे। वित्त सम्बन्धी बिलों के अतिरिक्त वह अन्य बिलों को पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है। परन्तु यदि पुनर्विचार के लिये भेजा गया बिल दोनों सदनों द्वारा पुनः स्वीकृत हो जाए, तो राष्ट्रपति, उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। वित्त सम्बन्धी बिल तभी संसद में पेश किये जा सकते हैं जब राष्ट्रपति उन्हें पेश करने की अनुमति दे दे। परन्तु जब संसद में कोई बिल पास हो जाए तो राष्ट्रपति उन्हें वीटो (Veto) नहीं कर सकता। उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति नाम-मात्र की है। वह ऐसे कानूनों को पारित होने से नहीं रोक सकता, जिन्हें संसद बनाना चाहती हो। उसे धन-विधेयकों को अपनी स्वीकृति न देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ii) राज्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना—यदि किसी बिल का प्रयोजन भारत के वर्तमान राज्यों की सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, कोई नया राज्य बनाना हो या सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बदलना हो, तो उसे पेश करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

(iii) संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार—संसद के सदनों के संगठन में भी राष्ट्रपति का कुछ हाथ रहता है। वह [illegible]

को मनोनीत करता है। लोक-सभा में वह ऐंग्लो-इण्डियन [illegible] लिये प्रतिनिधि मनोनीत करता है वहां साथ ही वह [illegible] एक-एक प्रतिनिधि मनोनीत करता है। उसको यह भी अधिकार है [illegible] लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सके। [illegible] प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। [illegible] समय वह उस राज्य की विधान-सभा की सिफारिश [illegible]

(iv) संसद की कार्यवाही से सम्बन्धित अधिकार—[illegible] सदन में किसी भी समय भाषण दे सकता है। वह किसी भी [illegible] कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह किसी [illegible] वह संसद को किसी भी विषय पर विचार करने के [illegible] आवश्यकता हो तो वह लोकसभा को भंग करके नये निर्वाचन [illegible] है। वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी करा सकता है।

(v) अध्यादेश जारी करने का अधिकार—जब संसद का अधिवेशन [illegible] रहा हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने [illegible] है। इस प्रकार के अध्यादेश संसद की विधि की भांति प्रभावकारी होंगे। जिन विषयों [illegible] को कानून बनाने का अधिकार है, उन सब विषयों के सम्बन्ध में ये अध्यादेश [illegible] ये अध्यादेश संसद के अधिवेशन आरम्भ होने के छः सप्ताह बाद तक ही लागू रह सकते [illegible] यह आवश्यक है कि संसद के अधिवेशन प्रारम्भ होते ही अध्यादेश [illegible] किया जाय। परन्तु यदि संसद के दोनों सदन उसे अस्वीकार कर दें तो वह अध्यादेश [illegible] न रहेगा। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि अध्यादेश वापिस ले सके। [illegible] को इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। [illegible] है कि यह प्रजातन्त्र विरोधी है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति [illegible] के अनुसार करता है।

(vi) राज्यों के विधान-मण्डलों से सम्बन्धित अधिकार—राष्ट्रपति को राज्यों के विधान-मण्डलों से सम्बन्धित अनेक अधिकार प्राप्त हैं। यदि राज्य किसी [illegible] पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है अथवा किसी की सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहता है [illegible] उसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। संकटकाल में राज्य के विधान-मण्डलों [illegible] समस्त अधिकार राष्ट्रपति अपने हाथ में लेकर भारतीय संसद को सौंप सकता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर टिप्पणी करते हुए डॉ० [illegible] लिखते हैं कि "राज्य के [illegible] प्रकार के विधेयकों को अनुमति देने की राष्ट्रपति की शक्ति [illegible]

(3) न्याय सम्बन्धी अधिकार [illegible]
भारत में [illegible]

(6)

... क्षमा करने का अधिकार—राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह दण्डित व्यक्ति के दण्ड को कम कर दे अथवा कुछ समय के लिए रुकवा दे। निम्न ... के दण्ड को कम अथवा क्षमा कर सकता है-(अ) जब दण्ड किसी ... ने दिया हो। (ब) जब अपराधी को मृत्यु दण्ड दिया गया हो। (स) जब ... के कानूनों का उल्लंघन करने के लिये दण्ड दिया गया हो। वह न केवल ... कम कर सकता है अपितु उसके रूप को भी बदल सकता है।

... न्यायाधीशों की नियुक्ति करना—राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ... के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि एक बार न्यायाधीशों ... उनके पद पर हटाना सुगम कार्य नहीं है परन्तु कभी-कभी ... और नई नियुक्तियों के अवसर पर राष्ट्रपति को न्याय विभाग ... प्राप्त हो जाता है। नई नियुक्तियाँ करते हुए राष्ट्रपति राजनीतिक ... है और ऐसे ही व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त ... नीति के समर्थक हों। सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्य ... करता है उसका राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। ... सर्वोच्च न्यायालय पर भी नियन्त्रण रख सकता है।

... वित्त सम्बन्धी अधिकार (Financial Powers)—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ... वित्त सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं—

... अनुमानित बजट उपस्थित करना—राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ ... के लिए वार्षिक बजट संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है जिसमें राज्य के ... का विवरण होता है।

... अनुदानों एवं करों पर सिफारिश—अनुदान (Grant) की मांग तथा कर ... राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। इसी ... बिल भी उसकी अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता।

... आकस्मिक निधि पर नियन्त्रण—आकस्मिक निधि (Contingency Fund) ... भी राष्ट्रपति के हाथों में है। इस निधि से वह संसद की स्वीकृति ... आकस्मिक खर्च के लिए धनराशि प्रदान कर सकता है।

... आय के वितरण का अधिकार—संघ तथा राज्यों के बीच आय का वितरण ... कितना भाग संघ को मिलेगा ...

इस बात का निर्णय करेगा कि संघ और राज्यों के बीच करों से प्राप्त आय का विभाजन किस प्रकार किया जाये।

(5) संकटकालीन अधिकार (Emergency Powers)—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय संकटकाल के लिए असीमित शक्तियों से विभूषित किया गया है। संविधान ने तीन प्रकार के संकटों को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की हैं। (i) युद्ध बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से उत्पन्न संकट। (ii) आर्थिक कारणों से उपस्थित संकट। (iii) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के असफल हो जाने से उत्पन्न संकट। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशांति के कारण खतरे में है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा करने के लिये युद्ध आरम्भ हो जाने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं अपितु खतरे का आभास पाते ही राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार यदि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो वह संविधान की विफलता की घोषणा करके शासन अपने हाथ में ले सकता है। वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति उस समय कर सकता है जब उसके मत में भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। ये घोषणायें दो माह तक चलती हैं जब तक कि संसद इन्हें स्वीकृति प्रदान न कर दे।

संकटकालीन स्थिति में देश की शासन सत्ता पर राष्ट्रपति का अधिकार हो जायेगा तथा नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हो जायेंगे। इस प्रकार संकट काल में देश के शासन पर राष्ट्रपति का एकाधिकार होगा। राष्ट्रपति का यह अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी अधिकार के द्वारा उसके पद के महत्व की अनुभूति होती है।

(6) विशेष अधिकार (Special Powers)—संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को निम्नलिखित अस्थायी या विशेष अधिकार भी प्रदान किये गये हैं:

(i) आयोगों की नियुक्ति—संघीय लोक-सेवा आयोग व संयुक्त लोक-सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित करना, उसके सदस्यों व चेयरमैनों की नियुक्ति करना, उनके वेतन व भत्ते निश्चित करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। राष्ट्रपति राष्ट्र-भाषा हिन्दी की उन्नति के लिये आयोग की नियुक्ति करने का भी अधिकार रखता है। वह आयोग हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। राष्ट्रपति पिछड़ी हुई जातियों को ऊँचा उठाने के लिए भी आयोग नियुक्त करेगा।

(ii) राज्यों का शासन—राष्ट्रपति अंडमान-निकोबार अर्थात-'घ' वर्ग के राज्यों का शासन स्वयं करेगा तथा 'ग' वर्ग के राज्यों के लिए प्रमुखायुक्त अथवा लेफ्टीनेंट गर्वनर ...

के प्रति उत्तरदायी नहीं है और न उसके विरुद्ध कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकती है [illegible] [illegible] की हानि पहुँचे। इस प्रकार राष्ट्रपति का [illegible] [illegible] [illegible] है।

राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति

राष्ट्रपति के [illegible] [illegible] को देखने से यह [illegible] होता है कि उसका [illegible] [illegible] [illegible] है, परन्तु संविधान में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, यह एक विवाद-[illegible] प्रश्न है। कुछ का कहना है कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और कुछ का कहना है कि ब्रिटिश सम्राट की भाँति [illegible] एक संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में [illegible] यह इसलिए है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की [illegible] स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में भारतीय संविधान अस्पष्ट है। "डा० के० एन० शर्मा" के अनुसार, "भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी प्रकार करे? संविधान ने यह [illegible] पर छोड़ दिया है कि वह अपने कार्यों का पालन किस प्रकार [illegible] अर्थात् क्या वह संवैधानिक प्रधान बना रहेगा अथवा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान बनना चाहेगा।" इस प्रकार राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या होगी यह तो भविष्य बतायेगा। ब्रिटिश सम्राट की भाँति इस [illegible] [illegible] का भविष्य हमारे राष्ट्रपति की योग्यता, दूरदर्शिता तथा व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा।

1. **राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है (President is a Real Executive Head)**—कानूनी विचार के समर्थकों का कहना है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों ने राष्ट्रपति को ऐसी [illegible] प्रदान की है कि वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या तानाशाह बन सकता है। ये अनुच्छेद निम्नलिखित हैं—

(i) संविधान का अनुच्छेद 53 खण्ड 1—इसके अनुसार, "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होगी और उसका प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा।" संविधान का यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को [illegible] देता है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह नाममात्र का शासक न होकर वास्तविक शासक बन सकता है।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 74 का खण्ड 1—इसके अनुसार, "राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सम्पादन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् होगी।" इस अनुच्छेद से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् के परामर्श [illegible] मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस विचार पर [illegible] [illegible] के प्रोफेसर "डॉ० [illegible]" ने कहा है कि "[illegible] [illegible] है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति [illegible] कानूनी रूप से मन्त्रि-परिषद् की सलाह मानने के लिये बाध्य नहीं है।" अतः इस अनुच्छेद [illegible]

लिए बाध्य होगा। क्या इसके लिए एक अलग [illegible] [illegible] राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा।'

(iii) **अन्य शक्तियाँ**—संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ [illegible] जो कि उसकी स्थिति को और मजबूत कर देती हैं। [illegible] शक्तियों को मज़बूत कर सकता है और क्योंकि [illegible] सकते हैं। वह अपनी इच्छानुसार संसद के सम्मुख [illegible] के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज [illegible] अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार में ही सम्भव है, [illegible] आज में भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है।

(iv) **संकटकालीन शक्तियाँ**—संकटकालीन [illegible] को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति को [illegible] है। इन शक्तियों के प्रयोग में भी राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् के [illegible] नहीं है। श्री अमरनन्दी ने लिखा है कि "यह सम्भव है कि असाधारण [illegible] मन्त्रि-परिषद् के परामर्श की उपेक्षा करके स्वविवेक से कार्य करे। [illegible] असाधारण स्थिति में यह सम्भव है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला राष्ट्रपति, [illegible] रूप धारण कर ले।

2. **राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है (President is a Constitutional Head)**—इस विचार के समर्थक उपर्युक्त विचार को नहीं मानते क्योंकि संसदीय प्रणाली में [illegible] निरंकुश एवं तानाशाह राष्ट्रपति के लिए कोई स्थान नहीं है। [illegible] राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा ब्रिटेन के [illegible] भूमिका निभाती है जो ब्रिटेन के राजा को निभानी पड़ती है। [illegible] ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के राष्ट्रपति ने [illegible] [illegible] कार्य किया है। निम्नलिखित तथ्यों से [illegible] प्रधान है—

(i) **संविधान का [illegible]**—संविधान निर्माताओं का [illegible] [illegible] को एक संवैधानिक प्रधान बनाया था। 21 जुलाई सन् 1947 को [illegible] [illegible] मन्त्रणा में निहित है न कि राष्ट्रपति [illegible] भाँति एक [illegible]

[illegible] भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य मन्त्रि-परिषद् के परामर्श एवं सलाह [illegible] सकता है। संविधान के अनुसार मन्त्रि-परिषद् राष्ट्रपति को उसके कृत्यों [illegible] सहायता एवं मन्त्रणा देती है। यह तथ्य है कि संविधान में यह नहीं [illegible] राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् के परामर्श के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, परन्तु [illegible] लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति नहीं। उत्तरदायित्व के साथ [illegible] मन्त्रि-परिषद् के हाथों में रहना अनिवार्य है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान के [illegible] सकता। उसको औपचारिक रूप में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, [illegible] अपितु मन्त्रि-परिषद् की हैं। यदि कोई राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् की [illegible] तो उसमें और लोकसभा के बीच संघर्ष उपस्थित हो जायेगा और [illegible] त्याग-पत्र देना पड़ेगा। मन्त्रि-परिषद् और संसद से स्वतन्त्र होकर कार्य [illegible] राष्ट्रपति पग-पग पर संविधान का उल्लंघन करेगा और संविधान का उल्लंघन [illegible] महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया जायेगा।

(iii) अप्रत्यक्ष निर्वाचन—राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी इस बात का प्रमाण [illegible] शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने विवेक से नहीं कर सकता। प्रधानमन्त्री तथा [illegible] की नियुक्ति में वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्ति [illegible] नियुक्त करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है तथा अन्य मन्त्रियों [illegible] प्रधानमन्त्री के परामर्श से करता है। शासन कार्य के सम्बन्ध में समस्त निर्णय [illegible] लिए जाते हैं, राष्ट्रपति को तो केवल सूचना ही दी जाती है। इस प्रकार [illegible] पृथक् होकर राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर सकता।

[illegible] पर नियंत्रण—राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रसारित करने का अधिकार [illegible] पूर्ण नियन्त्रण है। युद्ध तथा शान्ति के सम्बन्ध में भी उसके अधिकार पूर्ण [illegible] संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति किसी युद्ध में भारतीय सैनिकों का प्रयोग [illegible] और न युद्ध की घोषणा कर सकता है। राजनीतिक विषयों पर भी संसद [illegible] क्योंकि राज्य की वित्त-व्यवस्था उसके अधीन है।

[illegible] का राष्ट्रपति न तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान शक्तिशाली है और [illegible] शक्तिहीन, अपितु उसके पद का मूल्य बहुत कुछ सीमा तक [illegible] समय तक लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत [illegible]

8

"एक अर्ध संघीय संसदीय प्रजातन्त्र का वैधानिक अध्यक्ष है।"

राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ
(Emergency Powers of The President)

राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण संकटकालीन शक्तियाँ हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रपति शासन का स्वरूप बदल सकता है। इनका प्रयोग राष्ट्रपति तीन प्रकार के संकट निवारण के लिये करता है—

(1) युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न हुआ संकट (Emergency caused by war, external aggression or internal disturbances)—संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक उपद्रवों के कारण संकटकालीन स्थिति की सम्भावना है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संकटकाल की घोषणा के लिए युद्ध आरम्भ होने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं अपितु संकट का आभास पाते ही वह घोषणा कर सकता है। 44वें संशोधन द्वारा आपातकालीन अधिकारों का दुरुपयोग न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल की घोषणा उसी दशा में की जा सकेगी, जब भारत या उसके किसी क्षेत्र को युद्ध या बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह के अलावा अन्य किसी प्रकार के आन्तरिक उपद्रवों के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकेगी।

मन्त्रि-मण्डल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित रूप से सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घोषणा उपयुक्त तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद की जाये। चूँकि आपातकाल की घोषणा संविधान में संशोधन के समान होती है, अतः इस घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा पर्याप्त बहुमत से करना आवश्यक है। उक्त घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह घोषणा दो महीने तक लागू होती रहेगी। दो महीने के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जायेगा, यदि संसद के दोनों सदन दो महीने के भीतर ही इसे स्वीकृत नहीं करते।

परन्तु यदि इस प्रकार की घोषणा ऐसे समय पर की जाये जबकि लोकसभा का [illegible] यह विघटित हो जाये तो ऐसी दशा में घोषणा [illegible] स्वीकार कर लिया [illegible]

इस प्रकार की घोषणा का प्रभाव

(i) संसद सम्पूर्ण देश या देश के किसी भी भाग के लिये किसी भी विषय पर कानून बना सकती है अर्थात् राज्य सूची में दिये गये विषयों पर भी कानून बना सकती है। किसी भी राज्य के किसी भी कानून को रद्द कर सकती है।

(ii) राष्ट्रपति राज्य को कार्यपालिका के विषय में आदेश दे सकता है।

(iii) राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व वितरण में संशोधन कर सकता है।

(iv) राष्ट्रपति संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग को कुछ समय अथवा पूरी अवधि के लिए स्थगित कर सकता है और नागरिकों को इन अधिकारों हेतु न्यायालय में अपील करने के अधिकार से वंचित कर सकता है।

(v) इस काल में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी पदाधिकारी को किसी भी प्रकार के अधिकार सौंप दे।

(vi) इस संकटकाल के समय यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों के सम्बन्ध में भी अध्यादेश जारी कर सकता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति को तानाशाही शक्तियाँ प्राप्त हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वेच्छाचारिता से कार्य करेगा। उसके कार्यों का उत्तरदायित्व मन्त्रि-परिषद् पर होगा। अतः यह आशा की जाती है कि वह अपने इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रि-परिषद् की सहमति से बहुत सोच-विचार कर करेगा।

(2) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र के असफल हो जाने से उत्पन्न संकट—(Emergency arising from the failure of constitutional machinery in the states)— यदि राष्ट्रपति किसी प्रदेश के राज्यपाल या राज्य प्रमुख अथवा किसी सूत्र से सन्देश प्राप्त होने पर इस बात से सन्तुष्ट है कि राज्य में वैधानिक रूप से शासन करना असम्भव है तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा की अवधि भी वही है जो प्रथम संकटकाल की है।

इस घोषणा का प्रभाव— संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड 1 के अनुसार राष्ट्रपति को इस घोषणा से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे—

(i) राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा राज्य प्रमुख की शक्तियाँ सहित राज्य शासन के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है।

(ii) वह राज्य की विधान सभा के समस्त अधिकारों को संसद अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को सौंप सकता है। वह राज्य का शासन भार राज्यपाल को भी सौंप सकता है। इस अधिकार का प्रयोग पंजाब में कुछ समय के लिए किया जा चुका है जबकि पंजाब के कांग्रेस दल में फूट पड़ जाने के कारण राज्य का शासन [illegible] की सम्भावना रहा।

(iii) [illegible]

इस प्रकार की घोषणा का भी संसद के [illegible] है। यदि यह संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत नहीं होगी। यदि ऐसी घोषणा उस समय की जाये [illegible] हो तो उसको जारी रखने के लिए यही प्रक्रिया [illegible] के लिए है।

(3) आर्थिक संकट (Financial Emergency)— यदि राष्ट्रपति [illegible] जाये कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व (Financial [illegible]) है तो वह आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। इस [illegible] रखने की वही प्रक्रिया है जो प्रथम एवं द्वितीय संकटकाल की है।

इस घोषणा का प्रभाव

(i) आवश्यक निर्देश प्रसारित कर राष्ट्रपति अथवा संघ के [illegible] के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है।

(ii) वह समस्त राज्यों के वित्तीय विधेयकों को अपने पास [illegible] का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यों के विधान-[illegible] विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित होंगे। इस प्रकार आर्थिक [illegible] राज्यों की अर्थ-व्यवस्था पर अपना पूर्ण नियंत्रण [illegible]

संकटकालीन अधिकारों का व्यावहारिक रूप

(अ) राष्ट्रीय संकट— भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित [illegible] संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग किया है—

(i) 26 अक्टूबर, 1962— चीन और [illegible] संकट का सामना करने के लिए संकटकाल की घोषणा की [illegible] राष्ट्रपति डॉ॰ राधाकृष्णन ने [illegible] अनुच्छेद 352 के [illegible] की स्थिति मौजूद है।" [illegible] रक्षा अध्यादेश (Defence of India Ordinance) भी जारी किया [illegible] व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 और 22 को [illegible] स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए न्यायालय में अपील करने के [illegible] दिया गया।

(ii) 3 दिसम्बर, [illegible]

(iii) 26 जून, 1975–देश की आन्तरिक स्थिति के बिगड़ जाने तथा अराजकता [illegible] करने के उद्देश्य से 26 जून, 1975 को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद [illegible] स्थिति की पुनः घोषणा कर दी। राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में प्रधानमन्त्री [illegible] गांधी ने कहा कि हिंसा का वातावरण बनने के कारण तथा विपक्ष के आन्दोलन [illegible] से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए हमने आपात-स्थिति की घोषणा की है।

(ब) राज्य में संकट

(i) 20 जून, 1951–संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करके पंजाब में राष्ट्रपति [illegible] स्थापित किया गया था। इसकी घोषणा इस आधार पर की गई थी कि यहाँ कांग्रेस [illegible] था। राष्ट्रपति ने विधान सभा को भंग कर दिया। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ [illegible] सौंप दी गई और विधायनी शक्तियाँ संसद को सौंप दी गई। परन्तु यहाँ राष्ट्रपति [illegible] समय के लिये ही रहा।

(ii) 1951–पेप्सू राज्य में संकटकाल की घोषणा की गई थी। पेप्सू राज्य में गैर [illegible] मन्त्रि-मण्डल था और पूर्णरूप से बहुमत प्राप्त न था। राष्ट्रपति ने राज्य का शासन [illegible] संघ सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा तथा [illegible] संसद को सौंप दी गई।

(iii) 1954–तीसरी बार राज्यों में संकटकालीन घोषणा 1954 में आन्ध्र प्रदेश राज्य [illegible] मद्य-निषेध के प्रश्न पर मन्त्रि-मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव [illegible]। नये चुनाव के पश्चात् ही वहाँ स्थाई सरकार का निर्माण हुआ।

(iv) सन् 1956–ट्रावनकोर राज्य में वैधानिक संकट की घोषणा की गई। यहाँ पर [illegible] के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया था तथा कोई दूसरा दल [illegible] बनाने की स्थिति में न था। इसलिए यहाँ शासन कार्य चलाने के लिए राष्ट्रपति [illegible] लागू किया गया।

(v) सन् 1959–केरल में संकटकाल की घोषणा की गई। यहाँ पर साम्यवादी दल [illegible] था। इस मन्त्रि-मण्डल को विधानसभा में तो बहुमत प्राप्त था परन्तु राज्य [illegible] के विरुद्ध बढ़ते हुए जन आन्दोलन को देखकर राज्यपाल ने राष्ट्रपति [illegible] के द्वारा राज्य का प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिये [illegible] की घोषणा कर दी। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

शासन लागू किया गया। विधायकों द्वारा दल बदलने के कारण वीरेन्द्र सिंह मन्त्रि-मण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ा और विधान सभा को भंग कर दिया गया।

(viii) फरवरी सन् 1968–उत्तर प्रदेश में आपातकालीन घोषणा की गई तथा 1968 में ही यह घोषणा पंजाब, बंगाल व बिहार में की गई। फरवरी, 1969 में मध्यावधि चुनाव कराये गये और राष्ट्रपति शासन का इन राज्यों में अन्त किया गया।

(ix) सन् 1971– पंजाब, मैसूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इन राज्यों में भी चुनावों के उपरान्त राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया। जून, 1975 में सम्पूर्ण देश में संकटकाल की घोषणा की गई, जो मार्च, 1977 ई० में समाप्त हुई।

राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की आलोचना

राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ विद्वानों और राजनीतिज्ञों के बीच वाद-विवाद का विषय रही हैं।

1. तानाशाही–केवल जर्मनी के वीमर (Weimar) संविधान, को छोड़कर जिसके अनुसार हिटलर तानाशाह बन गया था संसार के किसी भी संविधान में ऐसी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है। संविधान में इनके पारित होते समय श्री कामथ ने कहा था कि, "यह शोक और लज्जा का दिन है, भगवान ही भारतीय जनता की सहायता करे।"

2. मौलिक अधिकारों का हनन–संविधान के संकटकालीन प्रावधान राष्ट्रपति के हाथों में भरी हुई पिस्तौल (Loaded Pistol) के समान हैं और उनसे मौलिक अधिकारों का हनन बड़ी सुगमता से किया जा सकता है।

3. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन–संकटकालीन शक्तियों के विरुद्ध एक आलोचना यह है कि यह शक्तियाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन करती हैं। मौलिक अधिकारों को तो सरलतापूर्वक स्थगित किया जा सकता है परन्तु साथ ही राष्ट्रपति संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है। न्यायालय को भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने इन शक्तियों को प्रजातन्त्रात्मक शासन के लिए घातक बताया क्योंकि इनके कारण मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इनकी आलोचना करते हुए 'श्री कामथ' ने संविधान सभा में कहा था कि, "इस अध्याय के द्वारा हम एक निरंकुश तथा पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यह राज्य उन सिद्धान्तों एवं आदर्शों के विपरीत होगा, जिन्हें पिछली शताब्दियों में हम लोगों ने मान्यता प्रदान की। यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें करोड़ों निर्दोष स्त्री व पुरुषों के अधिकार हर समय खतरे में होंगे।"

संकटकालीन शक्तियों का महत्व

1. राष्ट्रीय सुरक्षा—[illegible]

[illegible]

2. [illegible]

[illegible]

भारत का राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड का सम्राट

समानताएँ

1. संवैधानिक प्रधान—भारत और इंग्लैंड दोनों देशों में [illegible]

[illegible]

2. [illegible]

अन्तर

1. निर्वाचन—भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के [illegible]

[illegible]

2. महाभियोग—भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के [illegible]

[illegible]

भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति

अन्तर

1. संवैधानिक [illegible]

[illegible]

2. निर्वाचन [illegible]

[illegible]

...द्वारा चुनती है।

...से अधिक राष्ट्रपति—अमेरिका में कोई व्यक्ति दो बार से अधिक लगातार ... हो सकता है, पर भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

...महाभियोग का अधिकार—भारत के समान अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी ... लगाया जा सकता है पर वहाँ पर महाभियोग केवल सीनेट अथवा निम्न सदन ही ... भारत में दोनों सदनों को यह अधिकार प्राप्त है।

...और सरकार दोनों का प्रधान—"अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य और ... का प्रधान है" (Head of the State and the Government) इसके विपरीत ... राज्य का प्रधान है सरकार का नहीं।" (Head of the State but not ... Government)

...की नियुक्ति—अमेरिका में राष्ट्रपति मन्त्रियों की अपनी इच्छानुसार स्वयं ... पद से हटा सकता है परन्तु भारत में राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति ... नियुक्त करना पड़ता है जो लोक सभा में बहुमत दल का नेता हो। अन्य मन्त्रियों ... प्रधानमन्त्री के परामर्श से करता है।

...द्वारा परामर्श—अमेरिका में मन्त्रियों के परामर्श को मानना या न मानना ... पर निर्भर है परन्तु भारत में राष्ट्रपति को मन्त्रि-परिषद् के परामर्श के ... कार्य करना पड़ता है।

...का अधिकार—दोनों के राष्ट्रपतियों को वीटो (Veto) का अधिकार प्राप्त ... राष्ट्रपति द्वारा वीटो किया हुआ बिल संसद में दूसरी बार साधारण बहुमत ... राष्ट्रपति उस पर दुबारा वीटो नहीं कर सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति ... यदि कांग्रेस दूसरी बार दो-तिहाई बहुमत पास कर दे तभी वह ... अन्यथा नहीं।

...संकटकालीन अधिकार—भारत के राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्राप्त ... अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हैं। फिर भी युद्धकाल अथवा ... नहीं बन सकता क्योंकि उसके ऊपर मन्त्रि-परिषद ... अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा भारत के राष्ट्रपति ... 'डा० अम्बेडकर' ने संविधान सभा में

चतुर्थ गणतन्त्र के राष्ट्रपति से तुलना—भारत के राष्ट्रपति की तुलना चतुर्थ गणतन्त्र के राष्ट्रपति से करना अधिक न्यायसंगत है। चतुर्थ गणतन्त्र के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती थी। वहाँ पर भी संसदात्मक शासन प्रणाली थी। भारत के राष्ट्रपति के समान फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था। उसे विधान-मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा चुना जाता था जबकि भारत के राष्ट्रपति को एक ऐसी निर्वाचित सभा चुनती है जिसमें संघ-संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। फ्रांस में भी देश-द्रोह का महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता था। परन्तु यह अधिकार केवल निम्न सदन को प्राप्त था। इस दृष्टि से फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र और भारत के राष्ट्रपतियों की स्थिति एक समान है।

पाँचवें गणतन्त्र के राष्ट्रपति से तुलना—फ्रांस के पाँचवें गणतन्त्र में स्थिति बदल गई। अब वहां का राष्ट्रपति शक्तिशाली है। अब उसे वह सम्मान और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है ही जो इंगलैंड के सम्राट को प्राप्त है, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति की भाँति शासन की वास्तविक सत्ता भी उसी के हाथों में आ गई है।

पाँचवें गणतन्त्र का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से सबल है। अब वह प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है तथा मन्त्रि-मण्डल की बैठकों का सभापतित्व भी करता है। भारत के राष्ट्रपति को मन्त्रि-परिषद की बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकार नहीं है।

भारत का उपराष्ट्रपति
(Vice-President of India)

संवैधानिक व्यवस्था—संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होने के नाते वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन, राज्य परिषद, का भी सभापति होगा। (Vice-President to be ex-officio Chairman of the Council of the State) वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा किन्तु जिस काल में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पन्न करेगा अथवा उसके पद पर आसीन होगा, उस समय उसे राज्य-परिषद के सभापति के कार्यों को करने का अधिकार न होगा, और न ही उसे सभापति पद के लिये भत्ते तथा वेतन पाने का अधिकार होगा। जिस समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और जब तक कि नये राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाये, उस समय तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्य करता रहेगा।

...के निर्वाचन के सम्बन्ध में

[illegible] संक्रमणीय (Single Transferable Vote) की पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन [illegible] संविधान के ग्यारहवें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अब आवश्यकता नहीं रही है।

(2) उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और न किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य होगा तथा यदि निर्वाचन के समय किसी सदन का सदस्य हुआ तो पद ग्रहण के साथ ही उसकी सदस्यता से परित्याग समझा जायेगा।

योग्यतायें
(Qualifications)

(1) भारत का नागरिक हो।

(2) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(3) राज्य परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

(4) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभपद धारण किए हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

कार्य एवं पद-त्याग

अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा परन्तु उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षरयुक्त लेख के द्वारा त्याग-पत्र दे सकेगा। राज्य सभा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसको पदच्युत कर सकती है परन्तु ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में चौदह दिन के समय से पूर्व प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। जब तक उसके पद पर किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव न हो जाए तब तक वह ही उस पद पर कार्य करता रहेगा अर्थात् अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक उपराष्ट्रपति ही पद धारण किये रहेगा। अपने पद पर कार्य करने से पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किये हुए व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है।

उपराष्ट्रपति के कर्त्तव्य

राज्य सभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति उन समस्त अधिकारों का प्रयोग करता है जो एक सभापति करता है। उसको निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने की दशा में वह राष्ट्रपति का कार्य करता है, जब तक की नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाये। इस सम्बन्ध में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपतियों में भारी अन्तर है। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का पद [illegible]
के लिए राष्ट्रपति [illegible]